-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **विभिन्न स्थानों से चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम देने 03 अभियुक्तों को थाना मरका व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.07.2025 की शाम को औगासी पुल के पास चोरी/लूट की घटनाओं को दिया गया है अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी बबेरु सौरभ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.07.2025 को थाना मरका व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 25.07.2025 को मर्का क्षेत्र के ग्राम सरगना के रहने वाले राजकरन सोनी उर्फ करन पुत्र गयाप्रसाद सोनी के साथ प्रभाकर सिंह उर्फ चेतन निवासी गाजीपुर के साथ दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ नकद रुपए व अन्य सामान की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मरका पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 27.07.2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से मरका क्षेत्र के ग्राम सिरियाताला औगासी पुल के पास चोरी करने के इरादे से जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति की घेराबंदी कर रोका गया तो स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो। अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूट के 66 हजार रुपये, अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस, खोखा कारतूस व अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 01 अपाचे सफेद रंग की (घटना में प्रयुक्त)
- 66000 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रभाकर सिंह उर्फ चेतन सिंह पुत्र रमेश सिंह नि0 ग्राम लीला थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर (मुठभेड़ मे घायल)।
2. निशांत जोशी पुत्र कपूरे जोशी निवासी ग्राम फरीदाबाद टिकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
3. अभिषेक सिंह पुत्र कल्लू सिंह ग्राम फरीदाबाद टिकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 130/25 धारा 109/352/351(3) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रभाकर सिंह उर्फ चेतन सिंह पुत्र रमेश सिंह -

1. मु0अ0सं0 144/24 धारा 352/115(2)/125 बीएनएस थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 190/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 198/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2) एससी/एसटी एक्ट थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 34/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना शिवगढ़राय जनपद बरेली
5. मु0अ0सं0 128/25 धारा 309(6)/109/281/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अजीत सिंह थानाध्यक्ष मरका मय टीम
2. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम